रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 1986/आषाढ़ 18, 1908
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 1986/ASADHA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1986

अधिसूचना

का.नि.आ. 8(अ):—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां), अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन, उसकी सप्लाई और संचालन तथा अनुरक्षण से संबंधित सेवाओं और सार्वजनिक विद्युत केन्द्रों के संचालन से संबंधित प्रत्येक सेवा को समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फाइल सं. 1(3) 86-रक्षा (जीएस-1]
एस. के मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th July, 1986

NOTIFICATION

S.R.O. 8 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, generation, supply, operation, and maintenance of electricity and running of Thermal Power Stations in U. P. to be a service of vital importance to the community.

[F. No. 1 (3)|86|D (GS.I)]

S. K. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986